

TR-04  
14-15

## न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता ,बुण्डू(राँची)

RM वाद संख्या-BC-33/14-15

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

16.1.15

### आदेश

विक्रेता का नाम एवं पता- दुर्गामनी देवी, पति-स्व0 किष्टो महतो  
ग्राम-ईड़कु, पो0-जामुदाग, थाना-सोनाहातु, जिला-  
राँची। जाति-कुरमी, पेशा-गृहणि

क्रेता का नाम एवं पता- चैतन्य पिता-स्व0 भादो महतो  
ग्राम-एदेलडीह, पो0- जामुदाग , थाना-सोनाहात ,  
जिला- राँची। जाति-कुरमी, पेशा-खेती

विद्वान अधिवक्ता का नाम- श्री गिरेशवर महतो

विक्रेता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-21.05.14 को क्रेता श्री चाँद महतो पिता-स्व0 गुरुचरण महतो, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है।

### भूमि का विवरण

मौजा	थाना	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
ईड़कु	सोनाहातु	39	04	684	0.91ए0 मध्ये0.28 1/2ए0

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी , सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी , सोनाहातु पत्रांक-483(II) दिनांक-26/09/2014 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि:-

(क) प्रस्तावित भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की है। खतियानी रैयत का नाम-कार्तिक महतो वल्द चामु महतो कौम कुरमी वैगरह दर्ज है। पंजी-2 के अनुसार रैयत का नाम-शम्भू महतो वगैरह दर्ज है।

(ख) उपरोक्त भूमि के विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 5.24 1/2 एकड़ भूमि शेष बच जाती है।

(ग) आवेदक को घर बनाने एवं बीमारी के ईलाज हेतु वह कुल 1,00,000(एक लाख) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं।

(घ) दोनों क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी जाति (कुरमी) के सदस्य हैं। एवं एक ही थाना क्षेत्र सोनाहातु एवं एक ही जिले- राँची के निवासी है।

कृ०प०उ०

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सोनाहातु ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b के तहत विक्रेता दुर्गामनी देवी, पति-स्व0 किष्टो महतो ग्राम-ईडकु, पो0-जामुदाग, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (जाति-कुरमी, पेशा-गृहणि) को क्रेता चैतन्य महतो पिता-स्व0 भादो महतो ग्राम-एदेलडीह, पो0- जामुदाग, थाना-सोनाहात, जिला- राँची (जाति-कुरमी, पेशा-खेती) के हाथों प्रस्तावित भूमि को विक्रय करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-21.05.14 को निर्गत आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने भी कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि को विक्रेता दुर्गामनी देवी, पति-स्व0 किष्टो महतो ग्राम-ईडकु, पो0-जामुदाग, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (जाति-कुरमी, पेशा-गृहणि) को क्रेता चैतन्य महतो पिता-स्व0 भादो महतो ग्राम-एदेलडीह, पो0- जामुदाग, थाना-सोनाहात, जिला- राँची (जाति-कुरमी, पेशा-खेती) के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b के तहत दी जाती है। आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार के द्वारा निर्धारित दर पर करेंगे।

**भूमि का विवरण**

मौजा	थाना	थाना न0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
ईडकु	सोनाहातु	39	04	684	0.91ए0 मध्ये0.28 1/2ए0

लेखापति एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
बुण्डू राँची।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
बुण्डू राँची।